भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *351
जिसका उत्तर 19 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल का संरक्षण एवं कुशल उपयोग

***351. श्रीमती मालविका देवीः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल के संरक्षण और कुशल उपयोग तथा भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/पहल की गई हैं/कदम उठाए जा रहे हैं/पहल की जा रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस संबंध में किए गए वित्तीय व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषतः ओडिशा सहित देश के विभिन्न भागों में भूजल संसाधनों में होने वाली कमी और जल संदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा के कालाहांडी और नुआपाड़ा में सूखे की स्थिति के समय पानी के भंडारण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन में सुधार और छोटी ऊंचाई के चेक बांधों के निर्माण के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री **श्री सी. आर. पाटील**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'जल का संरक्षण एवं कुशल उपयोग' के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *351 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है इसलिए जल प्रबंधन, संरक्षण और उसके कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संबंधी प्रयासों में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करती है। जल संरक्षण, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। देश भर में जल संरक्षण और पानी के कुशल उपयोग के साथ-साथ भूजल स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्न प्रकार हैं:

(i) जल शक्ति मंत्रालय वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान का कार्यान्वयन वार्षिक आधार पर कर रहा है। मौजूदा वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन-2024 को लागू कर रहा है, जो जल शक्ति अभियान श्रृंखला में 5वां संस्करण है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और निधियों जैसे मनरेगा, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल, मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार घटक, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार की योजनाएं, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि आदि का एक मिलाजुला रूप है। अभियान के प्रमुख कार्यकलापों में से एक कार्य, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन करना है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का विनिर्माण और इनकी मरम्मत सहित पुनर्भरण संरचनाएं निर्मित करने का कार्य शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) पर यथा उपलब्ध जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के वित्तीय व्यय (केवल मनरेगा के अंतर्गत) का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ii) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न दिशानिर्देशों को जारी करते हुए और राष्ट्रीय मिशनों अर्थात नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पानी के सतत प्रबंधन और संरक्षण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। अमृत के अंतर्गत, शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/राज्य अपने आकलन/प्राथमिकता के अनुसार, जल आपूर्ति के लिए जल निकायों के पुनरूद्धार और भूजल पुनर्भरण आदि से जुड़ी परियोजनाओं को वर्षा जल संचयन, जल आपूर्ति के लिए शुरू कर सकते हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत, जल निकायों और कुओं का संरक्षण करना मुख्य घटकों में से एक है। इसके अंतर्गत स्वीकार्य अवयवों में अन्य बातों के साथ-साथ आद्रभूमि संरक्षण, गाद निकाले गए जल निकाय, तटबंधों का सुदृढ़ीकरण और पत्थरों की पैकिंग करना, बरसाती जल नालियों (जिसमें सीवेज/बहिस्राव नहीं होता है) के माध्यम से वर्षा जल का जल निकायों में संचयन आदि कार्य शामिल रहते हैं। अमृत के अंतर्गत, अब तक 34,869.15 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

हालांकि, पिछले 3 वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं को 9,823.82 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जबकि अमृत 2.0 के अंतर्गत, अब तक सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की परियोजनाओं को 11,756.13 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(iii) जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना, जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश भर में भूजल संरक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण कार्यों सहित भूजल संसाधनों के अन्वेषण, निगरानी, आकलन और प्रबंधन से संबंधित कार्य किए जाते हैं। भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान बजट आवंटन का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

वर्ष	उपयोग (व्यय) करोड़ (रु.)
2021-22	180.20
2022-23	204.76
2023-24	202.58

केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने मानचित्रण योग्य लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) परियोजना को पूरा कर लिया है। जलभृत्त मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली गई हैं जिन्हें कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। इन प्रबंधन योजनाओं में मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के कार्यकलापों के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय किए जाने के कार्य शामिल रहते हैं। इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक व्यापक मास्टर योजना-2020 भी तैयार की है जो कि एक वृहद स्तरीय योजना है जिसमें अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भागीय स्थितियों की विभिन्न संरचनाएं इंगित की गई हैं। मास्टर प्लान में 185 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) मानसूनी वर्षा का उपयोग करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

(iv) भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन सात राज्यों नामतः गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 80 जिलों के 229 ब्लॉकों के अंतर्गत 8203 ग्राम पंचायतों में जल की कमी वाले चिन्हित क्षेत्रों में कर रही है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक नेतृत्व में स्थायी भूजल प्रबंधन के माध्यम से भूजल स्तर की गिरावट को रोकना है। इस योजना का कार्यान्वयन 01.04.2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जा रहा है।

इस योजना के केन्द्र में सामुदायिक व्यवहार में बदलाव लाते हुए भूजल के मांग पक्ष का प्रबंधन करना है। ग्राम पंचायत-वार जल सुरक्षा योजनाओं (वाटर सिक्योरिटी प्लान) को चल रही योजनाओं के सम्मिलन के माध्यम से जल बजट और प्रस्तावित मांग पक्ष के कार्यों जैसे सूक्ष्म सिंचाई, फसल

विविधीकरण, पाइपलाइनों का उपयोग आदि और चेक डैम, फार्म तालाब, रिचार्ज शाफ्ट और अन्य कृत्रिम पुनर्भरण/जल संरक्षण संरचनाओं जैसे आपूर्ति पक्ष के कार्यों के विवरण को शामिल करते हुए तैयार करके निष्पादित किया जाता। योजना की शुरुआत से राज्यों को कुल 3,346.91 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को संवितरित निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक-II** की **तालिका-I** में दिया गया है।

(v) पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण थीमैटिक दृष्टिकोण अपनाया है। एलएसडीजी के इन 9 थीम में एसडीजी को जमीनी स्तर पर लोगों को समझाने और जोड़ने के लिए कुल 17 एसडीजी हैं। पानी ऐसा ही एक विषय है। योजना वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 49 हजार ग्राम पंचायतों और वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 45 हजार ग्राम पंचायतों ने पर्याप्त जल विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने का संकल्प लिया है। इसका राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(vi) कृषि और किसान कल्याण विभाग वर्ष 2015-16 से देश भर में केंद्र प्रायोजित योजना प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का फोकस सूक्ष्म सिंचाई नामत: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर है। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक, प्रति बूंद अधिक फसल को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में कार्यान्वित किया गया था। वर्ष 2022-23 के दौरान, प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई, पानी की बचत के साथ-साथ फर्टिगेशन, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागत और किसानों की समग्र आय वृद्धि के माध्यम से उर्वरक उपयोग को कम करने में मददगार होती है। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को लगाने के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को @ 55% और अन्य किसानों को @ 45% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को स्थापित किए जाने के लिए सहायता, को लाभार्थी के लिए हेक्टेयर तक सीमित किया गया है। राज्य में प्रति बूंद अधिक फसल योजना के लिए जारी निधि और इसके अंतर्गत उपलब्धियों की स्थिति **अनुलग्नक-IV** में दी गई है।

(vii) ओडिशा सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उसने दो योजनाएं नामतः छटा (कम्यूनिटी हार्नेसिंग और छत से जलभृत तक कृत्रिम रूप से वर्षा जल का संचयन) और एआरयूए (भूमिगत जलभृत का कृत्रिम पुनर्भरण) राज्य सरकार द्वारा जल के संरक्षण और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए शुरू की गई हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में किए गए वित्तीय व्यय का ब्यौरा **अनुलग्नक-v** में दिया गया है।

(viii) पंद्रहवें वित्त आयोग (एफएफसी) (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26) ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं के लिए टाइड

अनुदान के रूप में कुल अनुदान की 60% राशि आवंटित की है। इस प्रकार, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक, आरएलबी/पीआरआई को एफएफसी टाइड अनुदान के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। एफएफसी की सिफारिश के अनुसार, निर्धारित अनुदान का 50% पेयजल, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण सहित जल आपूर्ति कार्यकलापों के लिए निर्धारित किया जाएगा। पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आरएलबी/पीआरआई को एफएफसी टाइड अनुदान के अंतर्गत, आबंटित और जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक- VI** में दिया गया है।

(ix) भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) देश में वर्षा सिंचित और बंजर भूमियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन करता है। अन्य बातों के साथ-साथ किए गए कार्यकलापों में मृदा एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन आदि कार्य शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में इस योजना को जारी रखने के लिए सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2021 को मंजूरी दे दी गई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी केन्द्रीय अंश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है।

(ग): जल राज्य का विषय होने के कारण जल प्रबंधन के लिए पहल, उसके संसाधन एवं उसकी गुणवत्ता मुख्यत: राज्यों की जिम्मेदारी है। फिर भी, देश में भूजल के स्तर में गिरावट को रोकने और भूजल गुणवत्ता सुधार/संदूषण के उपचारण को सरल बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। ओडिशा सहित देश के सक्रिय भूमि जल संसाधनों का आंकलन केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। इस अभ्यास में वार्षिक भूजल पुनर्भरण, निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन और भूजल निष्कर्षण का आकलन शामिल है। एक आकलन इकाई में, भूजल निष्कर्षण के चरण की गणना, वार्षिक निष्कर्षण योग्य संसाधन के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण के अनुपात के रूप में की जाती है। इसके आधार पर ही मूल्यांकन इकाइयों को सुरक्षित, अर्ध-गंभीर, गंभीर या अति-दोहित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

भूजल संसाधन मूल्यांकन-2023 के अनुसार, कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 449.08 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है और वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 407.21 बीसीएम है। सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण 241.34 बीसीएम है। पूरे देश में भूजल निष्कर्षण का औसत स्तर लगभग 59.26% है। देश में कुल 6553 आंकलन इकाइयों (ब्लॉकों/मंडलों/तालुकों/तहसीलों/घाटी/जिला) में से 736 इकाइयों (11.23%) को अतिदोहित, 199 इकाइयों (3.04%) को गंभीर, 698 इकाइयों (10.65%) को अर्द्धगंभीर और 4793 इकाइयों (73.14%) को सुरक्षित इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ओडिशा राज्य के लिए, राज्य का कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण को (जीडब्ल्यूआरए-2023 के अनुसार) 17.35 बीसीएम और वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 15.94 बीसीएम के रूप में मूल्यांकित किया गया है। वार्षिक भूजल निष्कर्षण 7.39 बीसीएम है और भूजल निष्कर्षण का चरण 46.33% है।

कुल 314 आंकलन इकाइयों (ब्लॉक) में से 9 इकाइयों (2.87%) को 'अर्द्ध-गंभीर', 299 इकाइयों (95.22%) को 'सुरक्षित' और 6 इकाइयों (1.91%) को 'सलाइन' श्रेणी मूल्यांकन इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत्त मानचित्रण कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) के अंतर्गत, भूजल में आर्सेनिक जैसे विषैले पदार्थों द्वारा होने वाले संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी संदूषण मुक्त जलभृत्तों के दोहन के लिए सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है और फ्लोराइड कम करने में राज्य विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा आवधिक रूप से भूजल प्रदूषण को रोकने और संदूषित जल के सुरक्षित उपयोग सहित भूजल के विभिन्न पहलुओं पर जनजागरूकता सृजन कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, रासायनिक विश्लेषण डेटा के पाक्षिक परिणाम, 17 जून 2024 से भूजल गुणवत्ता अलर्ट के रूप में राज्य सरकारों के साथ साझा किए जाते हैं।

भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल से जल की आपूर्ति प्रदान की जा सके। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पाइप जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को अपनाया जाता है। जेजेएम के अंतर्गत, घरों में नल से जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय ओडिशा सहित गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशेष वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित बस्तियों में रहने वाली आबादी को 10% का वेटेज दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्त्रोतों पर आधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधियों का उपयोग अपने वार्षिक आबंटन के 2% तक जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) कार्यकलापों के लिए कर सकते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, यंत्रों, रसायनों, कांच के बने पदार्थों, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल श्रमिकों को हायर करना, फिल्ड टेस्ट किटों (एफटीके) का उपयोग करते हुए समुदाय द्वारा निगरानी करना, जनजागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल है।

(घ): जल राज्य का विषय होने के कारण वर्षा जल के प्रबंधन, संरक्षण और संचयन के प्रयास राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फिर भी, केन्द्र सरकार वर्षा जल के संरक्षण और

संचयन के लिए अनेक स्कीमें/अभियान कार्यान्वित कर रही है। जल शक्ति मंत्रालय वार्षिक आधार पर वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रहा है। मौजूदा वर्ष में, जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) 2024 को लागू कर रहा है, जो ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों सहित देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में जेएसए की श्रृंखला में 5वां है। इस अभियान के अंतर्गत केन्द्रित कार्यकलापों में से एक में वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत कार्य शामिल हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ चेक बांध/तालाब, खाइयां आदि शामिल हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के कालाहांडी और नुआपाड़ा में जेएसएः सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) पर यथा उपलब्ध जेएसए: सीटीआर के अंतर्गत पूरी की गई वर्षा जल संचयन संरचनाओं का ब्यौरा **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान की गति को और बढ़ाने के लिए, जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई है, जिसमें किफायती सस्ती वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने के लिए सामुदायिक मोबलाइजेशन को तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, देश भर में वर्षा जल संचयन के कार्य में सुधार के लिए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), अमृत 2.0, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 आदि जैसी विभिन्न अन्य योजनाएं लागू की जा रही हैं।

*****

अनुलग्नक-I

"जल का संरक्षण एवं कुशल उपयोग" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *351 भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किए गए वित्तीय व्यय का विवरण:

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) वर्ष	व्यय (केवल डीओआरडी-मनरेगा) लाख में)
2021	6566634
2022	2386239
2023	1891499
2024	727864
कुल	**11572236**

स्त्रोत : जेएसए सीटीआर: पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in)

*****

अनुलग्नक-II

"जल का संरक्षण एवं कुशल उपयोग" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *351 भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

तालिका 1: अटल भूजल योजना के तहत राज्यों को वर्षवार वितरित राशि

(राशि करोड़ रु. में)

राज्य	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**	**कुल**
गुजरात	36.20	180.19	285.88	502.27
हरियाणा	32.15	163.42	489.62	685.19
कर्नाटक	73.62	303.51	406.86	783.99
मध्य प्रदेश	46.56	62.84	58.99	168.39
महाराष्ट्र	43.18	190.95	242.62	476.75
राजस्थान	46.35	171.76	144.62	362.73
उत्तर प्रदेश	32.33	65.84	92.67	190.84
कुल	310.39	1138.51	1721.26	3170.16

*****

अनुलग्नक-III

"जल का संरक्षण एवं कुशल उपयोग" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *351 भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान जल पर्याप्त थीम के अंतर्गत लिए गए संकल्प की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17	10
2	आंध्र प्रदेश	6308	8407
3	अरुणाचल प्रदेश	203	105
4	असम	38	49
5	बिहार	1365	579
6	छत्तीसगढ़	1665	899
7	गोवा	36	24
8	गुजरात	96	15
9	हरियाणा	79	61
10	हिमाचल प्रदेश	1219	855
11	जम्मू और कश्मीर	437	244
12	झारखंड	1077	719
13	कर्नाटक	1730	2000
14	केरल	11	47
15	लद्दाख	2	6
16	लक्ष्यद्वीप	0	0
17	मध्य प्रदेश	4619	3490
18	महाराष्ट्र	9107	7049
19	मणिपुर	97	0
20	मेघालय	591	0
21	मिजोरम	447	416
22	नागालैंड	518	363
23	ओडिशा	2442	1829
24	पुडुचेरी	0	0
25	पंजाब	3	216
26	राजस्थान	1782	1908
27	सिक्किम	12	7
28	तमिलनाडु	7146	6749
29	तेलंगाना	3612	6177
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	16	7
31	त्रिपुरा	617	178
32	उत्तराखंड	731	534
33	उत्तर प्रदेश	2870	2513
34	पश्चिम बंगाल	359	235
	कुल	**49252**	**45691**

*****

अनुलग्नक-IV

"जल का संरक्षण एवं कुशल उपयोग" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *351 भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) स्कीम के अंतर्गत लघु सिंचाई के अंतर्गत जारी निधि और कवर किए गए क्षेत्र का वर्ष-वार ब्यौरा

वर्ष	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
2015-16	1556.73	5.73
2016-17	1991.24	8.40
2017-18	2819.39	10.49
2018-19	2918.38	11.59
2019-20	2700.02	11.73
2020-21	2562.19	9.37
2021-22	1796.12	10.15
2022-23	1901.37	11.02
2023-24	2103.11	11.40
2024-25	1436.24	4.47
कुल	**21775.27**	**94.36**

*****

<u>अनुलग्नक-V</u>

"जल का संरक्षण एवं कुशल उपयोग" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *351 भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में छटा और एआरयूए योजनाओं के अंतर्गत किए गए वित्तीय व्यय का विवरण

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**वित्तीय व्यय**
1.	छटा (कम्यूनिटी हार्नेसिंग और छत से जलभृत तक कृत्रिम रूप से वर्षा जल का संचयन) सरकारी भवन/शहरी स्थानीय निकाय/ब्लॉक (रु. करोड़ में) प्राइवेट बिल्डिंग में आरआरएचएस (रु. करोड़ में)	39.95 करोड़ 97.60 करोड़
2.	एआरयूए (भूमिगत जलभृत के लिए कृत्रिम पुनर्भरण)	26.55 करोड़

*****

अनुलग्नक-VI

"जल का संरक्षण एवं कुशल उपयोग" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *351 भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत टाइड ग्रांट और आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा

		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
क्र.सं.	राज्य	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	1,163.40	1163.4	1206	1188.91	1218.6	1198.55	1291.2	593.2639
2	अरुणाचल प्रदेश	102	51	106.2	0	107.4	0	113.4	0
3	असम	711.6	711.6	736.8	736.8	744.6	744.6	789	0
4	बिहार	2,225.40	2225.4	2305.2	2305.2	2330.4	2311.45	2468.4	1170.05
5	छत्तीसगढ़	645	645	668.4	668.4	675	675	715.2	345.25
6	गोवा	33	33	34.2	14.54	34.8	0	37.2	0
7	गुजरात	1,417.20	1417.2	1467.6	1467.6	1483.8	1483.8	1571.4	0
8	हरियाणा	561	561	580.8	580.38	587.4	564.96	621.6	0
9	हिमाचल प्रदेश	190.2	190.2	197.4	197.4	199.2	198.47	211.2	0
10	झारखंड	749.4	749.4	775.8	775.8	784.2	784.2	831	0
11	कर्नाटक	1,426.20	1426.2	1477.8	1256.12	1494	1242.05	1582.2	0
12	केरल	721.8	721.8	747.6	747.6	756	756	800.4	400.2
13	मध्य प्रदेश	1,766.40	1766.4	1830	1830	1849.8	1691.54	1959	0
14	महाराष्ट्र	2,584.20	2385	2676.6	2219.78	2706	2177.52	2865.6	971.65
15	मणिपुर	78.6	39.3	81	0	82.2	0	87	0
16	मेघालय	81	40.5	84	0	84.6	0	89.4	0
17	मिजोरम	41.4	41.4	42.6	42.6	43.2	0	45.6	0
18	नागालैंड	55.2	55.2	57.6	0	58.2	0	61.2	0
19	ओडिशा	1,001.40	1001.4	1036.8	1036.8	1048.2	1048.15	1110.6	490.79
20	पंजाब	615.6	615.6	637.2	637.2	644.4	635	682.8	0
21	राजस्थान	1,712.40	1712.4	1774.2	1773.14	1793.4	1708.23	1899.6	760.6769
22	सिक्किम	18.6	18.6	19.8	19.8	19.8	19.8	21	10.0133
23	तमिलनाडु	1,599.60	1599.6	1656.6	1656.6	1674.6	1674.28	1774.2	887.1
24	तेलंगाना	819	819	849	849	858	854.51	908.4	0
25	त्रिपुरा	84.6	84.6	88.2	88.2	88.8	88.8	94.2	47.1
26	उत्तर प्रदेश	4,324.80	4324.8	4479.6	4479.6	4528.2	3872.62	4796.4	2398.2
27	उत्तराखंड	255	251.20	264	263.54	267	266.66	282.6	0
28	पश्चिम बंगाल	1,956.60	1956.59	2026.8	2026.8	2049	2049	2170.2	1115.651
	कुल	**26,940.60**	**26,606.79**	**27907.8**	**26861.8**	**28210.8**	**26045.2**	**29880**	**9189.945**

*दिनांक 16.12.2024 के अनुसार

*****

अनुलग्नक-VII

"जल का संरक्षण एवं कुशल उपयोग" के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *351 भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) के वाटरशेड विकास घटक के अंतर्गत जारी केंद्रीय शेयर निधियों की राज्य-वार और वर्ष-वार स्थिति

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (आज की तारीख तक)	कुल
1	आंध्र प्रदेश	45.74	42.11	23.12	26.12	137.09
2	अरुणाचल प्रदेश	22.98	70.08	119.00	42.86	254.92
3	असम	16.48	54.02	108.00	0.00	178.50
4	बिहार	112.94	0.00	0.53	41.48	154.95
5	छत्तीसगढ़	23.01	40.29	135.00	0.00	198.30
6	गोवा	2.10	0.00	4.48	0.00	6.57
7	गुजरात	25.79	51.32	141.00	32.36	250.47
8	हरियाणा	3.02	3.02	6.18	3.54	15.76
9	हिमाचल प्रदेश	8.51	12.86	13.06	21.34	55.77
10	जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	11.87	9.53	36.81	26.98	85.19
11	झारखंड	27.28	23.18	82.00	0.00	132.46
12	कर्नाटक	119.84	96.96	132.00	0.00	348.80
13	केरल	13.25	0.00	6.59	6.88	26.72
14	मध्य प्रदेश	75.03	257.62	78.75	71.76	483.16
15	महाराष्ट्र	50.08	108.55	187.50	62.84	408.97
16	मणिपुर	9.24	0.00	14.21	11.08	34.53
17	मेघालय	60.80	0.00	23.83	12.39	97.02
18	मिजोरम	7.03	21.42	31.82	19.60	79.87
19	नागालैंड	13.63	12.88	25.31	9.84	61.66
20	ओडिशा	123.18	45.39	146.00	31.83	346.40
21	पंजाब	3.03	5.30	3.23	3.80	15.36
22	राजस्थान	282.56	0.00	74.33	174.91	531.80
23	सिक्किम	3.15	5.51	13.44	3.95	26.05
24	तमिलनाडु	10.75	42.84	80.54	23.14	157.27
25	तेलंगाना	27.60	38.36	3.68	17.31	86.95
26	त्रिपुरा	20.30	0.00	16.54	12.64	49.48
27	उत्तर प्रदेश	21.78	0.00	86.20	27.32	135.30
28	उत्तराखंड	11.06	19.50	32.99	27.74	91.29
29	पश्चिम बंगाल	13.15	22.74	26.94	32.99	95.82
30	संघ राज्य क्षेत्र	0.00	3.80	8.37	3.58	15.75
	कुल	**1165.17**	**987.27**	**1661.43**	**748.28**	**4562.18**

*****

अनुलग्नक-VIII

“जल का संरक्षण एवं कुशल उपयोग” के संबंध में दिनांक 19.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *351 भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में कालाहांडी और नुआपाड़ा में जल शक्ति अभियानः कैच द रेन (जेएसएः सीटीआर) के अंतर्गत पूरी की गई वर्षा जल संचयन संरचनाओं का विवरण

जेएसएः सीटीआर का वर्ष	राज्य/जिले का नाम	जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन
2021	छत्तीसगढ़	38304
2022	छत्तीसगढ़	46477
2023	छत्तीसगढ़	46547
2024	छत्तीसगढ़	62141
कुल		**193469**
2021	झारखंड	38978
2022	झारखंड	20002
2023	झारखंड	2313
2024	झारखंड	17334
कुल		**78627**
2021	कालाहांडी, ओडिशा	1145
2022	कालाहांडी, ओडिशा	1660
2023	कालाहांडी, ओडिशा	682
2024	कालाहांडी, ओडिशा	1166
कुल		**4653**
2021	नुआपाड़ा, ओडिशा	627
2022	नुआपाड़ा, ओडिशा	1241
2023	नुआपाड़ा, ओडिशा	1436
2024	नुआपाड़ा, ओडिशा	1113
कुल		**4417**

स्त्रोतः जेएसएः सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in)

*****